न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बईजलास श्री लहरी कुमार जैन (आर .ए.एस)

प्रकरण संख्या 36 / 15 प्रार्थना पत्र — निर्णय दिंनाक 11.02.2017

बउनवान

चन्दू बाई जोजे राधेश्याम आयु 45 वर्ष जाति गूर्जर निवासी खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा
2. घीस्या आ0 गेंदया जाति माली निवासी उरना तहसील कनवास जिला कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के एकल खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास की खाता संख्या नई 16 की ख0नं0 111 की रकबा 0.65 हैक्टर, ख0नं0 113 की रकबा 0.82 हैक्टर कुल किता 2 की कुल रकबा 1.47 हैक्टर आराजी स्थित है। उक्त आराजियात के ख0नं0 नक्शा ट्रेस में सेटलमेन्ट से पूर्व ख0नं0 111 व ख0नं0 113 को पास पास दर्शाया गया है, लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा उक्त ख0नं0 के बीच में ख0नं0 112 नक्शा ट्रेस में सहवन से दर्शाया गया है, उक्त ख0नं0 111 के पुराने ख0नं0 73, ख0नं0 112 के पुराने ख0नं0 74 मि0 व ख0नं0 113 के पुराने ख0नं0 74 मि0 है। जिसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल संवत 2058--2077 से होती है। नक्शा ट्रेस में ख0नं0 111 व 113 सेटलमेन्ट से पूर्व पास पास दर्शाया गया है लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा सहवन से त्रुटि पूर्ण तरीके से नक्शा ट्रेस में अंकित ख.नं. 111 व 113 के बीच ख0नं0 112 दर्शाया गया है। जिसमें प्रार्थीया का खेत नक्शा नक्शा ट्रेस में दूर अंकित हो गया है जबकि प्रार्थीया दोनों ख0नं0 के पास पास के हिसाब से वर्तमान में काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज करने से प्रार्थीया को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा भविष्य में ख0नं0 112 के खातेदार घीस्या पुत्र गेंदया जाति माली निवासी उरना तहसील कनवास जिला कोटा द्वारा दोनों खेतों को वर्तमान नक्शा ट्रेस के अनुसार अलग अलग कर सकता है, जिससे प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। सेटलमेन्ट अधिकरियों द्वारा यह त्रुटिपूर्ण तरीके से नक्शा ट्रेस में दर्ज ख0नं0 111 व 113 के बीच ख0नं0 112 दर्ज करने से प्रार्थीया को हंकाई जूताई, पानी पिलाई व उराई इत्यादि कार्य करने में परेशानियां उठाने को मजबूर होना पडेगा। यह कि माननीय तहसीलदार सा0 को नक्शा ट्रेस में सही इन्द्राज हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

4- यह कि नक्शा ट्रेस में ख. नं. 111 व 113 सेटलमेंट से

गया था, इस पर माननीय तहसीलदार सा0 द्वारा न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये जाने पर माननीय न्यायालय में यह प्रार्थनासय पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना में स्थित ख0नं0 111 व 113 को नक्शा ट्रेस में पास पास पूर्व के नक्शा ट्रेस के अनुसार दर्ज करने की डिक्री प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कनवास) ने उपस्थित होकर आदेशिका दिनांक 11.02.2017 पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में अपनी सहमति अंकित की। पूर्व में पत्रावली दिनांक 19.06.2015 को न्याय आपके द्वार केम्प में पेश हुई, जिसमें अप्रार्थी घीस्या आ0 गेंदया जाति माली द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर घीस्या आ0 गेंदया जाति माली को पक्षकार बनाये जाने के आदेश हैं तथा केम्प में ही दिनांक 19.06.2015 को प्रार्थीया चन्दू बाई जोजे राधेश्याम गूर्जर को व अप्रार्थी घीस्या आ0 गेंदया जाति माली के बयान लिये गये। जो शामिल पत्रावली है। बयान में प्रार्थीया चन्दू बाई जोजे राधेश्याम गूर्जर ने अपने दावे अनुसार कार्यवाही का निवेदन किया व अप्रार्थी घीस्या आ0 गेंदया जाति माली ने अपने बयान में प्रार्थना पत्र अनुसार ही भूमि का बेचान करना व बेचान अनुसार ही प्रार्थीया का कब्जा काश्त होना बताया तथा प्रार्थना पत्र अनुसार कार्यवाही करने में सहमत होना व कोई आपत्ती न होना बयान में जाहिर किया व प्रार्थीया चन्दू बाई जोजे राधेश्याम गूर्जर तथा अप्रार्थी घीस्या आ0 गेंदया जाति माली की ओर से राजीनामा पेश हुआ। अप्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास की ओर से पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ती न होना जाहिर किया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया तथा सुनकर दोनों पक्षकारान प्रार्थीया चन्दू बाई जोजे राधेश्याम गूर्जर व अप्रार्थी घीस्या आ0 गेंदया जाति माली ने राजीनामा से सहमत होना व राजीनामा अनुसार कार्यवाही किये जाने में सहमत होना बताया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र धारा 136 व राजीनामा तथा बयानों का भलीभांति अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थीया चन्दूबाई के बयान व अप्रार्थी घीस्या के बयान तथा राजीनामा से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन की पुष्टि होती है। अतः हम प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आ0एक्ट व राजीनामा अनुसार ग्राम मोहनपुरा की आराजी हाल ख0नं0 111 रकबा 0.65 हैक्टर के लगवां पूर्वी तरफ की ख0नं0 112 की रकबा 0.82 हैक्टर भूमि की दुरुस्ती कर प्रार्थीया चन्दूबाई के खाते में दर्ज करने व तद्नुसार तरमीम करने तथा ख0नं0 112 की शेष पश्चिमी तरफ की भूमि अप्रार्थी घीस्या के नाम तथा ख0नं0 113

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

रकबा 0.82 हैक्टर अप्रार्थी घीस्या के नाम सेटलमेन्ट से पूर्व स्थिति अनुसार दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया चन्दूबाई जोजे राधेश्याम जाति गूर्जर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास में प्रार्थीया चन्दूबाई जोजे राधेश्याम जाति गूर्जर के खाते में स्थित आराजी हाल ख0नं0 111 रकबा 0.65 हैक्टर व ख0नं0 113 रकबा 0.82 हैक्टर भूमि को सेटलमेन्ट से पूर्व स्थिति अनुसार व राजीनामा अनुसार पास पोस दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थीया के खाते के ख0नं0 111 रकबा 0.65 के लगवा पूर्वी तरफ स्थित ख0नं0 112 रकबा 2.27 हैक्टर "जो अप्रार्थी घीस्या के खाते में दर्ज है" में से 0.82 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के खाते में दर्ज की जावे व तद्नुसार नियमान्तर्गत तरमीम की जावे साथ ही ख0नं0 112 की 2.27 हैक्टर में से 0.82 हैक्टर भूमि कम की जाकर शेष रही पश्चिम तरफ की 1.45 हैक्टर भूमि अप्रार्थी घीस्या आ0 गेन्दया माली के खाते दर्ज रहेगी साथ ही ख0नं0 113 की 0.82 हैक्टर भूमि "जो वर्तमान में प्रार्थीया के खाते में दर्ज है" अप्रार्थी घीस्या आ0 गेन्दया माली के नाम दर्ज की जावे। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लहरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय बइजलास लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट

कनवास जिला कोटा (राज.)

1. चन्दूबाई जोजे राधेश्याम आयु 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी खजूरना तहसील कनवास।

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर टी एक्ट

मुकदमा नं 36/15 सन 2015 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी गण की ओर से एडवाकेट श्री विनोद गौत्तम मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास में प्रार्थीया चन्दूबाई जोजे राधेश्याम जाति गूर्जर के खाते में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 111 रकबा 0.65 व खसरा नंबर 113 रकबा 0.82 है0, हैक्टर भूमि को सेटलमेंन्ट से पूर्व स्थिति अनुसार व राजीनामा अनुसार पास पास दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थीया के खाते के खसरा नंबर 111 रकबा 0.65 है0, के लगवा पूर्वी तरफ स्थित खसरा नंबर 112 रकबा 2.27 है0, "जो अप्रार्थी घीस्या के खाते में दर्ज है" में से 0.82 हैक्टर भूमि प्रार्थीया के खाते में दर्ज की जावे व तद्नुसार नियमान्तर्गत तरमीम की जावे साथ ही खसरा नंबर 112 की 2.27 है0, में से 0.82 है0, भूमि कम की जाकर शेष रही पश्चिम तरफ की 1. 45 है0, भूमि अप्रार्थी घीस्या आ0 गेन्दया माली के खाते दर्ज रहेगी साथ ही खसरा नंबर 113 की 0.82 है0, भूमि "जो वर्तमान में प्रार्थीया के खाते में दर्ज ह" अप्रार्थी घीस्या आ0 गेन्दया माली के नाम दर्ज की जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह फरवरी 2017 को जारी की गई।

मोहर.................................

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----NIL----		स्टाम्प वकालतनामा	----NIL----	
स्टाम्प वकालतनामा ...			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक ...		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा